कार्यालय

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

<u>निविदा फार्म</u>

<u>रोड मिल्क टैंकर हेतु प्रथम ई–निविदा</u>

******** I.S.O.-9001:2008 And 22000:2005 Certified Organization ********

डेयरी संयंत्र व कार्यालय :– करौंदा नाला के पास इमलिया, कटनी रोड,

इमलिया, आधारताल, जबलपुर 482004 (म.प्र.)

दूरभाष क्र. **7987268850**.

ई–मेल **purchase.jds@sanchidairy.com**

GST: 23AAAAj0485D 1Z6 PAN: AAAAJ0485D

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज् अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ISO. 9001 : 2015 & 22000: 2005

+91 9406 900 500 www.sanchijabalpur.com करौंदा-इमलिया,कटनी रोड,
+91 8305 225 339 jabalpurjsdstpt@gmail.com आधारताल,जबलपुर 482004 (म.प्र.)

Ref. No. 1666 / JSDSM/2026/ Jabalpur, Date – 16.09.2026

:- 1st E-Tender notice for insulated road milk tanker -:

Online (E Tender) tenders are invited insulated road milk tankers for transportation of milk To / from Dairy Plant Jabalpur Sahakari Dugdh Sangh, milk chilling centers, other milk unions & others states. As per the key dates mentioned on the website http://www.mptenders.gov.in /www.sanchidairy.com

S. No.	Brief Description of the Work	Quantity	EMD. VALUE (Rs.)	Cost of document (in Rs.)
1.	**Insulated road milk tanker for transportation of milk**	**As per requirement**	**50,000/-**	**1000/- (Non –Refundable)**

Tender document can be purchased online only from http:// www.mptenders.gov.in by making an online payment.

- The tender is available for purchase / download : from 16.09.2026, 4:00 PM
- Sale of Bidding documents : From 16.09.2026 4:00 pm
- Last date & time for receipt of bids : Date 30.09.2026 Time 02:00 pm
- Time & Date of opening of bids : Date 01.10.2026 Time 2:00 pm
- Place of opening bids : Office of the Chief Executive Officer, Jabalpur Dugdh Sangh Maryadit, Karonda nala Imaliya, Jabalpur
- Bidder shall have to submit their bids online.

Bid document can also be read in website www.sanchidairy.com & https://mptenders.gov.in/nicgep/app

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Jabalpur Sahakari Dugdh Sangh Maryadit,
Jabalpur

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौदा नाला, इमलिया कटनी रोड जबलपुर (म.प्र.)

—:: निविदा प्रपत्र ::—

1. निविदा कार्य :—जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु इंसुलेटिड टैंकर्स ।
2. निविदाकार का नाम :— ....
   .... ।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य :—एक हजार रुपये मात्र (1000/—ई—भुगतान)
4. निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक :—16.09.26 से 30.09.26 दोपहर 02:00 बजे तक क्रय की जा सकती है।
5. निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक एवं समय :— दिनांक 30.09.26 दोपहर 02:00 बजे तक।
6. निविदा खुलने की दिनांक एवं समय :—01.10.26 दोपहर 02:00 बजे।
7. निविदा खोलने का स्थान :— कार्यालय जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
8. व्यवहार हेतु पता :— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
9. किसी भी फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा जमा करना मान्य नहीं है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर।

दुग्ध परिवहन हेतु दर प्रस्ताव फार्म(यह केवल ऑनलाइन भरा जावे)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

महोदय,

आपके द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 15.09.2026 के संदर्भ में मैं/हम दुग्ध परिवहन दर प्रस्तुत कर रहे हैं एवं जिसके नियम एवं शर्ते भलिभॉति पढ़ एवं समझ ली है एवं हम इसके पालन हेतु सहर्ष बाध्य हैं।

क्रं.	टैंकर विवरण	दर प्रति कि.मी.		
			प्रदेश के अंदर	प्रदेश के बाहर
1	5000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंको में शब्दों में	रु.........................	रु.........................
2	9000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंको में शब्दों में	रु.........................	रु.........................
3	20000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंको में शब्दों में	रु.........................	रु.........................
4	15000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंको में शब्दों में	रु.........................	रु.........................
5	25000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंको में शब्दों में	रु.........................	रु.........................

मेरे द्वारा संघ की निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त नियमों एवं शर्तो के पालन करने में अपनी सहमति देते हुऐ अपनी दरें प्रस्तुत की जा रही है।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम ....

दस्तावेज की संलग्न छायाप्रतियॉः–

1..
2..
3..
4...

पैन नं. (इन्कम टैक्स नं.)..............................
पता ....
....
दूरभाष नं.........................मो.नं............................

(सील हस्ताक्षर सहित)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
तकनीकी प्रपत्र :—

फोटो

1. निविदाकार का नाम ————————————
(पिता के नाम सहित) ————————————

2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता ————————————
————————————
————————————

3. कार्यालय का पता ————————————

(अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर

(ब) E-Mail -

4. निविदा के साथ जमा राशि ————————————
विवरण (online payment receipt की छायाप्रति अपलोड करे)

5. PAN No. ————————————
(छायाप्रति अपलोड करे)

6. GST No. ————————————
(छायाप्रति अपलोड करे)

7. सर्विसटैक्स रजिस्ट्रेशन नं. ————————————
(छायाप्रति अपलोड करे)

8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो ————————————
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)

9. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार ————————————
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

एतद् द्वारा मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण जानकारी अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तो तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य है।

स्थानः—

दिनांक :—

—आवेदक—
निविदाकार(निविदाकार के हस्ता.)

कृपया इस फार्म को पूर्णरुप से भरकर स्कैन कर फार्म के साथ अपलोड करें।

दुग्ध शीतकेन्द्र/अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर/मुख्य डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संघो से टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु निविदा प्रस्तुति सम्बन्धी सामान्य नियम

1. यह ई–निविदा है, निविदाकार को ई–मोड़ द्वारा ही ऑनलाइन बिड जमा करनी होगी। ई.एम.डी. भी ऑनलाइन जमा की जायेगी।
2. निविदाकार की स्वंय की मालिकी का वाहन होना अनिवार्य हे। वाहन के कागजात प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग खोला नही जायेगा तथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। वाहन उपलब्धता के अनुरूप निविदा एक या एक से अधिक वाहन हेतु दी जा सकती है। नवीन वाहन प्रदाय करनें की स्थिति में रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर एक माह में वाहन उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्रदेश के अन्य दुग्ध संघो द्वारा ब्लेक लिस्टेड परिवहनकर्ता को निविदा में शामिल नही किया जावेगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ रू. 50,000/– (पचास हजार रू.) धरोहर राशि की रकम ऑनलाइन जमा करनी है। उक्त धरोहर राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर सम्बंधित निविदाकार के लेंखों में अमानत राशि के साथ किया जावेगा अर्थात् सुरक्षा निधि जो रू. 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रू.) है के विरूद्व 50,000/– का समायोजन किया जा सकेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नही होगा। (परिवहनकर्ता)
5. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकतानुसार संयंत्र की मांग पर जो मौखिक होगी, टैंकर समय पर उपलब्ध कराना होंगे।
6. यह कि निगोसिएसन केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करनें वाले निविदाकार एल–1 से किया जावेगा।
7. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल व अन्य सभी खर्चो के लिए स्वंय उत्तरदायी है। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नही होगा। टौलटैक्स आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वंय वहन किया जाना होगा।
8. यह कि स्वीकृत निविदाकर्ता को परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाईसेंस के रखना होगा तथा सम्बंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाईसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगी।
9. यह कि प्रतिदिन दुग्ध शीत केन्द्र/ अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर में संकलित दूध, संयंत्र जबलपुर/ शीतकेन्द्र तक लाने/ भेजने की जबावदारी परिवहनकर्ता की रहेगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे।
10. यह कि दुग्ध शीत केन्द्र/ अन्य दुग्ध संघ/ प्रदेश के बाहर से दुग्ध संयंत्र तक की दूरी का सत्यापन संघ द्वारा किया जावेगा एवं तदानुसार ही भुगतान किया जावेगा। वाहन को प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र से ही संचालित करना होगा।
11. यह कि टैंकर वाल्व लीकेज नही होनी चाहिए, लीकेज होने की दशा में होनें वाले दूध की हानि का कटौत्रा टैंकर के परिवहन देयक से किया जावेगा।
12. यह कि दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध शीतकेन्द्र/ अन्य दुग्ध संघ/ प्रदेश के बाहर को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्स्चर, टेस्टिंग एवं स्टेशनरी, सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा परिवहनकर्ता को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को शीतकेन्द्र/ अन्य दुग्ध संघ/ प्रदेश के बाहर को देकर प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। शीतकेन्द्र को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

13. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा वापिसी में अन्य स्थानों से दुग्ध संघ की सामग्री को लाने ले जाने का कार्य बिना किसी अतिरिक्त देय के करना होगा।
14. यह कि किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है इसकी सूचना परिवहनकर्ता को दी जाती है तो परिवहनकर्ता को उन दिनों का कोई भाड़ा देय नही होगा।
15. यह कि निर्देशित समय से शीतकेन्द्र/अन्य दुग्ध संघ/प्रदेश के बाहर का दूध डेयरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता को वहन करना होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था परिवहनकर्ता को करना होगी, डेयरी संयंत्र पर दूध नही पहुंचने की स्थिति में/ दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी। यदि परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है एवं दुग्ध संघ द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, वह राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जावेगी एवं लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में सम्मिलित होने में प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
16. यह कि प्राकृतिक प्रकोप जो परिवहनकर्ता के काबू से बाहर हो, को छोड़कर, वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार परिवहनकर्ता रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
17. यह कि कमांक 15 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/परिवहनकर्ता के काबू से बाहर के कृत्यों का पंचनामा बनाकर परिवहनकर्ता द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि परिवहनकर्ता को वापसी की जा सकेगी।
18. यह कि एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत् वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध का नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जबावदारी परिवहनकर्ता की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से किया जावेगा।
19. यह कि वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः परिवहनकर्ता का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है तो इससे शीतकेन्द्र/संघ को होने वाली हानि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जॉच में डीजल के स्थान घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को परिवहन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त करनें एवं प्रतिभूति राशि राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. यह कि संघ के कार्य से संघ/संस्था कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
21. यह कि संघ के प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड आरोपित किया जावेगा।
22. यह कि परिवहनकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ प्रतिनिधि/संघ अधिकारियों/कर्मचारीयों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो दुग्ध संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर दें।

23. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा अनुबंध शर्तो का निरंतर उल्लंघन करनें या संतोषजनक कार्य न करने पर या अनुबंध निर्देशों का पालन न करनें की दशा में दुग्ध संघ को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ले, इसके अतिरिक्त यदि इस कारण दुग्ध संघ को कोई हानि होती है तो वह भी परिवहनकर्ता के देयक से वसूल कर ली जावेगी।
24. यह कि चेकिंग के दौरान अथवा इस सम्बंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करनें पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारीयों द्वारा दूध में गडबडी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करनें या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करतें हुए पाये जाते है तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध कमी एवं इससे शीतकेंद्र/संघ को होने वाली हानि का देनदार परिवहनकर्ता रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करनें तथा प्रतिभूति राशि जप्त करनें का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
25. यह कि वाहन पर कार्यरत् कर्मचारियों के विरूद्व सहकारी, सरकारी, कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जबावदारी परिवहनकर्ता की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/शीतकेन्द्र को कोई हानि होगी तो वह परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
26. यह कि परिवहनकर्ता हड़ताल/कार्यबंदी नही करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि परिवहनकर्ता ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा दुग्ध संघ द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिए परिवहनकर्ता जबावदार रहेगा। साथ ही दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि इस कारण से परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर दें एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
27. यह कि डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेगी, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहानें धोने जैसे कार्य नही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका परिवहनकर्ता देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आनें के पश्चात् जब तक वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ रहेंगे।
28. यह कि वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः सुधरवाया जावेगा।
29. यह कि दुग्ध वाहन पर दुग्ध संघ द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाए लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी। दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा :-
    1. टैंकर के पीछे दुग्ध विक्रय हेतु नही है।
    2. टैंकर के दोनों ओर इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया 9406900500 पर सूचित करें।
30. यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/शीतकेन्द्र की निकलेगी तो दुग्ध संघ को परिवहनकर्ता की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करनें का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी परिवहनकर्ता जबावदेह होगा।
31. यह कि परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह परिवहनकर्ता को मान्य होगा।
32. यह कि परिवहनकर्ता अनुबंध में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना है तो उसके लिए वह अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिए तैयार कर अनुबंध करावेगा। इस हेतु हस्तांतरण शुल्क रू. 10,000/- संघ में जमा किया जावेगा। दुग्ध संघ चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।
33. यह कि संघ के कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारीयों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में परिवहनकर्ता कोई निकट का रिश्तेदार, पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बन्धु नही है यह तथ्य परिवहनकर्ता शपथ पत्र

पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।

34. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारीयों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाए जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
35. यह कि स्थानीय/ मध्यप्रदेश/ भारत शासन द्वारा आयकर की जो भी दरें लागू की जावेगी, वह वाहन अनुबंधनकर्ता के बिलों से काट कर उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जाकर उसका प्रमाण–पत्र संघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा नम्बर परिवहनकर्ता को आदेश प्राप्ती के एक सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य होगा।
36. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करनें पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से/प्रतिभूति राशि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा 45 दिवस की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
37. यह कि स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो टैंकर के डीजल अनुपात में दरें कम/वृद्धि की जावेगी। निम्न क्षमता के टैंकरों का डीजल औसत निम्नानुसार है।
    1. 5000 लीटर क्षमता हेतु 7 किमी. प्रति लीटर
    2. 9000 लीटर क्षमता हेतु 6 किमी. प्रति लीटर
    3. 15000 लीटर क्षमता हेतु 5 किमी. प्रति लीटर
    4. 20000 लीटर क्षमता हेतु 4 किमी. प्रति लीटर
    5. 25000 लीटर क्षमता हेतु 4 किमी. प्रति लीटर
38. यह कि डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस्, ऑयल तथा टॉयर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नही की जावेगी।
39. यह कि विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्र/ अन्य संघ/ मध्यप्रदेश के बाहर से टैंकर में दूध लोड किये जाने वाले दूध की मात्रा एवं फैट/एसएनएफ का सत्यापन परिवहनकर्ता का होगा। इसमें किसी प्रकार की दूध मात्रा एवं फैट/एसएनएफ कम आने पर अन्तर की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जा सकेगी।
40. यह कि अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक एवं क्लीनर परिवहनकर्ता नियुक्त करेगा वह उसके स्वंय के निजी कर्मचारी होगें तथा इन कर्मियों के सम्बंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिकारों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व परिवहनकर्ता का स्वंय का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा परिवहनकर्ता द्वारा स्वंय ही रखना होगा।
41. यह कि अनुबंध वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर अनुमोदित दर में 10 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।
42. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति कार्यवाही **दुग्ध संघ** द्वारा की जावेगी।
43. यह कि दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरों के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैंकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा।
44. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा।

45. यह कि परिवहनकर्ता को प्रत्येक टैंकर में जीपीएस सिस्टम एक माह के अंदर लगाना अनिवार्य है इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। समय सीमा में जीपीएस सिस्टम नही लगवाने पर दुग्ध संघ द्वारा जीपीएस सिस्टम लगवा दिया जावेगा और इस पर होने वाले व्यय का परिवहन देयक से कटौत्रा कर लिया जावेगा।
46. यह कि संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य अभिलेखों के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि पूर्व हटाया गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
47. यह कि परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि में एक वर्ष अतिरिक्त की वृद्धि की जा सकेगी।
48. यह कि 5000किग्रा., 9000किग्रा., 15000किग्रा., 20000किग्रा. एवं 25000किग्रा. क्षमता के टैंकरों हेतु दरें प्रस्तुत करना होगा निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता का टैंकर होने पर प्रोरेटा आधार पर दरों का निर्धारण किया जावेगा।
49. यह कि यदि दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता के बीच किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निराकरण दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी के समझ आर्बीटेशन के माध्यम से किया जावेगा एवं उनका निर्णय उभय पक्षों कों मान्य एवं बंधनकारी होगा।

नोट :– निविदा उन निविदाकारों हेतु भी खुली है जिनके पास वर्तमान में टैंकर उपलब्ध नही है लेकिन निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस में टैंकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी।

हस्ताक्षर एवं सील
दुग्ध परिवहनकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
जबलपुर

<u>नवीन वाहन उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप</u>

केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मै/हम .... आत्मज .... आयु............. निवासी............. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा टेंकर के माध्यम से दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई—निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन का वाहन एक माह के अंदर संलग्न कर दूंगा। इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

—: गवाह :—

1. .... 1. ....

....

2. .... 2. ....

....